सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 14/10/2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 521/2022 , सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 27/04/2023 के सम्बंध में पट्टाधारक जावेद अहमद व अन्य द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया व कुटरचित ढ़ंग से तैयार करके गलत दस्तावेज माननीय एनजीटी में भेजने के सम्बंध में –

महोदय्–

विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी सम्पूर्णा नन्द पुत्र श्री कल्लू राम ग्राम–भगौती देई पो0– पटिहटा, थाना– अहरौरा, तहसिल–चुनार परगना– भगवत जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 का मूलनिवासी है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 521/2022 , सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मूल आवेदक है। महोदय दिनांक 25/09/2023 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के साइट पर अपलोड किए गए पट्टाधारक जावेद अहमद, मिथिलेश कुमार सिंह व दिनांक 23/09/2023 को अपलोड किए गए दस्तावेजों व फोटो का अवलोकन किया तो पाया कि –

श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खान प्रतिवादी संख्या 32 अराजी नम्बर 730 द्वारा जो भी फोटो लगाया गया है लगभग सभी कुटरचित और झूठा है किसी भी फोटो में कोई लोकेश नहीं है जिससे यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि फोटो किस दिन का और कहां का है। इनके द्वारा कहीं भी हरित पट्टीका विकसित नहीं किया गया है ए दूसरे –दूसरे जगह का फोटो बनवाकर इस केस में संलग्न कर दिए हैं। महोदय ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रार्थी के पास इसका साक्ष्य है क्योकि **जिन पौधो को इनके द्वारा अपना हरित पट्टीका बताया जा रहा है वह प्रार्थी व परिवार के सदस्यों द्वारा आज के 5 वर्ष पूर्व अपने जमीन में लगाया गया था और मेड बंदी भी किया गया था जिसे इनके द्वारा लगातार हानिया पहुचाई जाती रही है यह जमीन प्रार्थी के पिता जी श्री कल्लू राम के नाम है जिसका रकबा 10 विस्वा यानी 0.1260 हेक्टेयर खसरा संख्या 729मि. है खाता संख्या – 00084,। देखें संलग्नक संख्या– 1 जमीन की खतौनी व लगाए गए पौधों का फोटो कुल 4 पेज। संलग्नक संख्या –2 खसरा संख्या 729मि के सहखातेदारों द्वारा जमीन बेचते समय तैयार किया गया दस्तावेज और चौहद्दी कुल 17 पेज।** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर दिनांक 03/02/2023 को सौपे गए संयुक्त जॉच समिति के रिपोर्ट के अनुसार पेज संख्या 115 पर अंकित श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खान के खनन पट्टे के पिलरों का लोकेशन (A) $25^0$0330.73, $82^0$5954.79 (B) $25^0$0331.19, $82^0$5959.99 (C) $25^0$028.88, $83^0$0000.11 (D) $25^0$0328.54, $82^0$5955.01 है लेकिन श्री जावेद अहमद प्रतिवादी संख्या 32 द्वारा लगाए गए पिलरों के किसी भी फोटो पर लोकेशन नहीं है ऐसे में स्पष्ट है कि लगाए गए पिलरों का फोटो गलत है जो इस खनन पट्टे का नहीं है। देखें संलग्न संख्या – 3 महोदय जितने भी प्लांटेशन सम्बंधी फोटो लगाए गए हैं प्रार्थी के जमीन में लगे पेड़ों के अलावा सब किसी दूसरे जगह का है क्योंकि प्लांटेशन

के फोटो में एक स्कूल दिखाई दे रहा है जो इस खनन पट्टे क्या इस गॉव के आस पास का भी नहीं है। देखें संलग्न संख्या – 4 , ऐसे में महोदय से आदर पूर्वक निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष झूठा दस्तावेज भेजने के लिए प्रतिवादि संख्या 32 का खनन पट्टा निरस्त करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकि दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री चरित्तर सिंह अराजी नम्बर 1

क उत्तरदाता संख्या– 39 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर दिनांक 03/02/2023 को सौपे गए संयुक्त जॉच समिति के रिपोर्ट के अनुसार पेज संख्या 126 पर अंकित श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री चरित्तर सिंह के खनन पट्टे के पिलरों का लोकेशन (A) $25^0$0306.534, $82^0$5928.656 (B) $25^0$0307.392, $82^0$5932.922 (C) $25^0$0303.96, $82^0$5930.394 (D) $25^0$0303.408, $82^0$5929.448 है लेकिन इनके द्वारा जितने भी पिलरों का फोटो लगाया गया है उसमें किसी का भी लोकेशन नहीं है इससे स्पष्ट हो रहा है कि पिलर सही स्थान पर नहीं लगाए गए हैं साथ ही प्लांटेशनों का फोटो भी विना लोकेशन का अपलोड किया गया है जो खनन पट्टे के आस पास का नहीं है जो किसी अन्य जगह लगाया गया है देंखें संलग्नक संख्या – 5 पेज संख्या– 1483,1484,1487,1497,1498।

उत्तरदाता संख्या – 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 37, 39, 42 और 43 द्वारा दिए गए जबाव के सम्बंध में

– सभी उत्तरदाताओं की ओर से दायर सभी दावे झूठे हैं और इनके द्वारा जो दस्तावेज लगाया गया है उस पर वर्णित नियम/शर्तो का भी पालन नहीं किया गया है फिर भी इनके द्वारा मांग किया जा रहा है कि इनको संचालन कि अनुमति दिया जाय जिसका प्रार्थी पूर्ण रुप से विरोध करता है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आग्रह करता है कि प्रश्नगत सभी खनन पट्टों व केशर प्लांटों को बंद करने के साथ ही उक्त ग्राम सभाओं में जो केशर प्लांट व खनन पट्टे अभी भी संचालित हैं उन्हे भी जूर्माना लगाते हुए बंद करने का कष्ट करें। इनके द्वारा दिए गए तथ्यों आधार पर कम संख्याओं के साथ विवरण निम्नलिखित है–

क्र. सं.	खनन पट्टा धारकों की दलिलों के मुख्य भाग	वास्तविक तथ्य	पृ.सं.
4	संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में एकतरफा आख्या प्रस्तुत किया गया है।यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की इसे प्राप्त न कर पाने की गलती है। यूपीपीसीबी द्वारा जारी की गई संचालन की सहमति और इसके लिए दोष यही बात पूरी तरह से अधिकारीयों और प्रशासन के साथ भी निहित है ।	संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में एकतरफा आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। वल्की वास्तविकता को दर्शाया है। इस बात से प्रार्थी भी सहमत है कि इसके दोषी अधिकारी भी हैं।	882
5	खनन पट्टा दिए जाने के बाद एवं उसके पहले पंजीकरण, विभिन्न अनुमतियां और मंजूरीयां कई विभागों से एक पट्टाधारक द्वारा लिए जाते हैं प्रत्येक चरण में स्पष्ट दिर्नेश दिए गए हैं कि एक पट्टाधारक के लिए कौन से अनुमतियॉ हैं जो आवश्यक है।हांलाकि पट्टा धारकों को कभी निर्देशित	सभी तथ्य झूठे हैं। सभी आवश्यक दिशा निर्देश इनको पहले ही पता था । माननीय अधिकरण द्वारा इनके द्वारा लगाए गए प्रपत्र एम0एम0 3 खनन पट्टे का आदर्श प्रपत्र या लिज के समय दिए गए हलफनामें में स्पष्ट देखा जा सकता है उदाहरण के तौर पर श्री राजेश भाई पटेल	882–883

	या बताया गया या सलाह नहीं दिया गया कि उन्हें संचालन की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है	के खनन पट्टे का प्रपत्र एम0एम0 3 भाग– 3 सामान्य उपबंध में 16 बिंदूओं को देखा जा सकता है।	920–929
6	पर्यावरणीय मंजूरी एक पर्याप्त सूरक्षा उपाय है।	पर्यावरणीय मंजूरी में दिए गए शर्तो का पालन करना पर्याप्त सूरक्षा उपाय है न कि सिर्फ मंजूरी लेना। इस आधार पर संचालन की अनुमति बिल्कुल ही नहीं दिया जाना चाहिए ऐसी प्रार्थना है	883–884
10	पट्टाधारको ने हमेशा जिम्मेदारी से काम किया है निर्धारित सभी शर्तो के अनुरुप उनके ईसी और उन्हें दी गई खनन अनुमतियां पट्टेधारक वे सभी छोटे व्यवसायी हैं और आम आदमी हमेशा कानून के ज्ञान से वंचित रहा है। खनन कार्य पट्टा धारकों ने ईमानदारी से किया है।	किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं किया गया है सिर्फ कुछ अनुमतियां ली गई है तो मात्र कागज पर है उसके शर्तो का पालन आज तक नहीं किया गया है। इनको हर नियम कानून और शर्तो के बारे में भली भाति जानकरी पहले से थी। इनके द्वारा खनन कार्य के द्वौरान लगभग 150–200 फीट गहरा गड्ढ़ा बना दिया गया है।	887
13	पट्टा धारकों के पास संचालन की सहमति नहीं है। यह उनकी गलती है।संचालन की सहमति प्राप्त करने में विफलता जानबूझकर नहीं है या जानबूझकर लेकिन ज्ञान की कमी के कारण ।	इनके द्वारा स्विकार्य करना कि अनुमति नहीं लिया गया था इससे ए स्पष्ट है कि इनके द्वारा सभी नियमों और शर्तो का उलंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा था। इनका यह कहना कि अज्ञानता में ऐसा हुआ है शरासर गलत है क्योंकि सभी शर्तो को पुरा करने का हलफनामा खनन पट्टाधारकों द्वारा खनन पट्टा स्विकृत होते समय ही दिया जाता है। और इतने के बाद भी अज्ञान हैं तो ए लोग खनन कार्य करने के योग्य नहीं हैं ऐसा करने से ए स्वयं और क्षेत्र के लोगों के जीवन के लिए खतरा हैं।	889–890
15	निरीक्षण के प्रथम दिन दिनांक 23/11/23 को संयुक्त समिति ने सुबह करीब 11:45 बजे ग्राम सोनपुर पहुंची किसी को भी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी पट्टाधारको को जिसमें 4 खनन पट्टा स्थलो का निरीक्षण किया गया था फिर अगिले दिन 23/11/2023 को संयुक्त समिति ने सह शिकायतकर्ता के साथ कुछ विशिष्ट ग्रामिणो से मुलाकात की शिकायतकर्ता से पूछताछ की और कुछ घरों का निरीक्षण किया ताकि कोई प्रतिकुल प्रभाव तो नहीं पड़ा है ब्लास्टिंग के कारण	सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दें की निरीक्षण दिनांक 23/11/2022 और 24/11/2022 को हुआ था।यह बात की इसकी पूर्व सूचना नहीं थी इसके बारे में तो खान अधिकारी मिर्जापुर द्वारा ही सही जानकारी दिया जा सकता है लेकिन प्रार्थी को प्राप्त लेटर में सभी खनन पट्टा धारकों को सूचना सम्बधि जानकारी दि गई थी। संयुक्त समिति ने दोनो दिन खनन पट्टा स्थलों का निरीक्षण किया था साथ हीं कुछ घरों का भी निरीक्षण किया था जो ब्लास्टिंग के कारण फट गए हैं। इनके द्वारा यह स्विाकार्य किया जा रहा है कि	891

		इन लोंगों के द्वारा अपने खनन पट्टे में खनन कार्य के लिए बिस्फोटकों का प्रयोग करके ब्लास्टिंग करके खनन कार्य किया जाता है जिससे स्पष्ट है कि इनलोगों के द्वारा ,खनन नियमों का उलंघन किया जा रहा है भाग–3 सामान्य उपबंध कम संख्या 16 पर स्पष्ट रुप से लिखा गया है कि खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र में विस्फोटक/ब्लास्टिंग का प्रयोग विना लाईसेंस प्राप्ती प्रतिबंधित होगी । लेकिन किसी ने भी विस्फोटक का लाईसेंस नहीं लगाया गया है इससे स्पष्ट है कि सभी ने इसका उलंघन किया है इसलिए इनका खनन पट्टा निरस्त किया जाना चाहिए। देखें पेज संख्या– 926	
16	शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया एक और आरोप था वह उन कंकड़/पत्थरों के कारण जो उड़कर जाते हैं ब्लास्टिंग से ग्रामीण और राहगीर चोटिल हो रहे हैं। उक्त आरोप पूर्णतः निराधार है ।	इनके द्वारा दिया गया दलिल विल्कुल ही निराधार और संवेदन हीन है क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है उसी का उदाहरण है कि 20/07/2023 को व 30/07/2023 को ग्राम भगौती देई में खनन पट्टों में खनन के लिए किए गए ब्लास्टिंग में कई लोग घायल हो गये जिसके लिए थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर में FIR NO. 0123, 0131 पंजीकृत है।	892
17	संयुक्त समिति ने जो धूल थी उसका संज्ञान लिया पौधों/पेड़ों की पत्तियों पर धूल कण बैठे हैं । वाहनों की आवाजाही के कारण धूल कण से दृष्टी खोने के कारण उठाया गया था तथ्य यह है कि ओस के कारण धूल जमने के बाद चिपक जाती है सर्दियों के दौरान पत्तियां संयुक्त समिति भी नजरअंदाज हो गई।	तथ्य निराधार और गुमराह करने वाला भी है क्योंकि ओस के साथ धुल कण तभी चिपक सकते हैं जब उस क्षेत्र में धूल कण उड़ रहें हों इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में धूल कण बहुत ही ज्यादा उड़ते रहते हैं जो पेड़ पौधों के पत्तियों पर बैठ जाते हैं जिससे पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे हैं।	892
18	यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि संयुक्त समिति ने केवल उन लोगों से बात की जो शिकायतकर्ता के साथ थे, क्षेत्र की आम जनता के साथ बातचीत करने का प्रयास नहीं किया गया जिसका जिसका खुलासा संबंधित गांवों के प्रधान करेंगे।	इनकी बातों से सहमत हूँ कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि संयुक्त समिति ने सिर्फ उन लोगों से बात किया जो शिकायकर्ता के साथ थे तो मै स्पष्ट कर दूं कि क्षेत्र के पूरे लोग शिकायतकर्ता के साथ हैं साथ ही ग्राम प्रधानों की बात है तो भगौती देई, बियाहुर के ग्राम प्रधान जॉच के समय उपस्थित थे और दोनों जगह के ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर के साथ प्रार्थी के सपोर्ट में एक एक पत्र उक्त गॉवों के लोगों द्वारा माननीय अधिकरण को पूर्व में	893

		भेजा जा चूका है। बाकी इन लोगों की इच्छा गॉव के लोगों से बात करने की है तो मै भी माननीय अधिकरण से आग्रह करता हूँ कि एक बार खूली मिटिंग में गॉव के लोगों से बात करने का एक समय निर्धारित करें शर्त ए हो कि सिर्फ गांव के लोग हों फिर स्पष्ट हो जाएगा कौन क्या चाहता है ।	
20–	तथ्य यह है कि ईसी में कोई प्रावधान नहीं दिया गया था।	इनकी दलिले बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है क्योंकि ईसी में लगभग सभी प्रावधानों/शर्तों को स्पष्ट रुप से बताया गया है। ईसी में दिए गए निदेशों के बावजूद 41 सामन्य शर्तें व 35 विशिष्ट शर्तें दिये गए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है ऐसा न करने पर खनन पट्टा निरस्त करने का प्राविधान है स्पष्ट रुप से ईसी में ही लिखा गया है देखें पृष्ट सं– 908–915	894
21	किसी परियोजना प्रस्तावक की ओर से चूक या निष्क्रियता लेकिन प्रयोज्यता और आवश्यकता के बारे में जागरूकता की कमी यह इरादतन या जानबुझकर किया गया मामला नहीं है।	खनन पट्टे के डिड से लेकर ईसी,एनओसी में सभी प्राविधानो को सूचिबद्ध तरीके से बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है फिर भी यह बताया जा रहा है कि अज्ञानता बस हो गया जानबूझकर नहीं किया गया है तो ऐसे खनन पट्टों को निरस्त ही कर देना चाहिए क्योंकि इससे स्पष्ट है कि जितने भी बिन्दूओं पर इनको काम करना था उससे विरत कार्य किया गया है।	895–896
23	जैसा कि पहले बताया गया है, संभवतः ऐसा इसलिए था तथ्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य काफी हद तक पुरा किया था पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शमिल किया गया पट्टा धारको को दि गई पर्यावरणीय मंजूरी ए जिसके अवलोकन से पता चलेगा कि वही पर्याप्त है। सूनिश्चित करें कि इसके संचालन से कोई प्रदूषण न हो उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं के खनन पट्टे।	कभी भी पर्यावरणीय संरक्षण का पालन नहीं किया गया ना ही प्रदूषण रोकने का कोई उपाय किया गया । सिर्फ पर्यावरणीय मंजूरी लेना ही पर्याप्त नही है बल्की उसमें दिए गए सभी शर्तों का पालन भी करना होता है। और सभी के द्वारा पहले ही स्वीकार्य किया जा चुका है कि नियमों का उलंघन जानकारी के अभाव में हुआ है।	897
26	वह एक चार्ट जिसमें खनन पट्टों का विवरण है। उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं की ईसी की तारीख सहित और सीटीओ, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।	सभी के सीटीओ के तारीख का अवलोकन करने पर देखा जा सकता है कि सभी ने सीटीओ माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक– 27/04/2023 के बाद का है इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा नियमों का उलंघन किया गया है साथ ही कई लोगों	901–904

		का ईसी भी खनन पट्टे के स्वीकृती के काफी दिन बाद का है	

महोदय सभी उत्तरदाताओ के द्वारा भेजे गए लगभग सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि खनन पट्टों को संचालन के लिए विभिन्न तरह के नियम व शर्ते पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व खनन विभाग द्वारा बनाया गया है जिसे पालन करते हुए ही खनन कार्य किया जा सकता है। ऐसा न करने पर संबंधित खनन पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान ईसी, लीज डीड, सहमति की प्रतियों में स्पष्ट रुप से लिखा गया है। अवैध खनन व विना लाईसेंस विस्फोटक/ब्लास्टिंग पर खनन पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान है। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी ने भी विस्फोटक सम्बंधित लाईसेंस की प्रतियों को नहीं लगया है इससे स्पष्ट है कि किसी ने भी विस्फोटक सम्बंधित लाईसेंस नहीं लिया है इसके बावजूद अपने अपने खनन पट्टे में विस्फोटक का प्रयोग करके ब्लास्टिंग किया जा रहा है जो खनन नियमावली व पर्यावरणीय मंजूरी के शर्तो का उलंघन है लिहाजा सभी खनन पट्टों को निरस्त किया जाना अति आवश्यक व न्याय हीत में है।

अतः श्रीमान जी से आदर पूर्वक विनम्र निवेदन है कि नियमों व शर्तो का उलंघन कर खनन कार्य करने वाले पट्टे को निरस्त करते हुए जूर्माने की राशी वसूल किया जाए यही न्यायदार है आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

Sompurnanand 14/10/2023

सम्पूर्ण नन्द

ग्रा0– भगौती देई, पो0– पटिहटा, चुनार, ज0– मिर्जापुर

उ0प्र0 पिन– 231304, मो0– 9450936703

1562 परिशिष्ट-1

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : भगौती देई परगना : (भगवत) तहसील : चुनार जनपद : मिर्जापुर फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 खाता संख्या : 00084

1	2	3	4	5	6	7-12	13
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान			खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश		टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
कल्लू / बेचन / स्था.			729मि.	0.1260			
			679/2	0.0630			
	योग		2	0.1890			

GPS Location - Lat - 25.05847°, Long - 82.998521°
से 5-7 मीटर उत्तर दिशा में

संलग्नक - 1567 - 2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 511803

छाया प्रति संलग्न.........
दस्तावेज नम्बर................ 08 03/2018
नकल नम्बर.................. 3687/13
आवेदक का नाम...............
आवेदन की तिथि.............. 12/10/13
....
....
...................10.9.138
....
...................8.8.18
....
कार्यालय उपनिबन्धक-चुनार 13-10-13

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० चुनार

पढ़ने वाला
सुनने वाला
उप निबन्धक

कार्यालय उप-निबन्धक
चुनार
13/10

6945 1568 21 JUL 2018

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH CL 771220

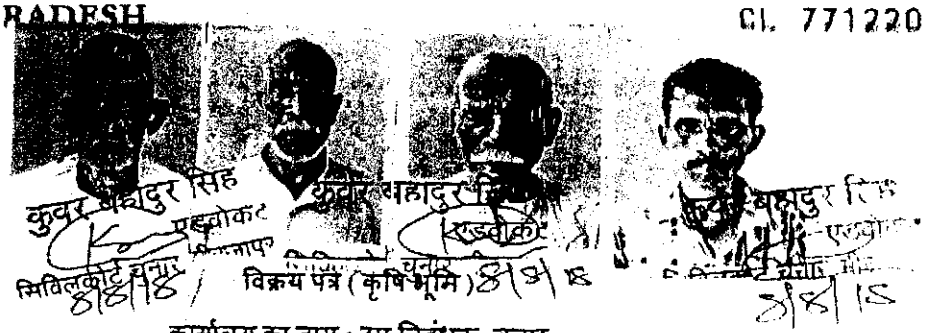

कुंवर बहादुर सिंह एडवोकेट सिविल कोर्ट चुनार 8/8/18 विक्रय पत्र (कृषि भूमि) 8/8/18

कार्यालय का नाम : उप निबंधक -चुनार

यह विक्रय पत्र निम्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया है:-

क- श्री/श्रीमती/कु० :	बद्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री :	मत्थुर
पेशा :	कृषि
पता :	भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर
पैनकार्ड नं० :	N/A
मोबाइल संख्या :	7376712002

विक्रेता/प्रथम पक्ष

नि० अ० बद्री भानुनन्दन रमन नि० सुरेश वीरेन्द्र

अरविन्द योगिन्दर आनन्द

नि० अ० बद्री भानुनन्दन रमन नि० अ० सुरेश वीरेन्द्र

अरविन्द योगेन्दर

आनन्द ... वाला

उप निबन्धक

1569 21 JUL 2018

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

Rs.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH CL 771221

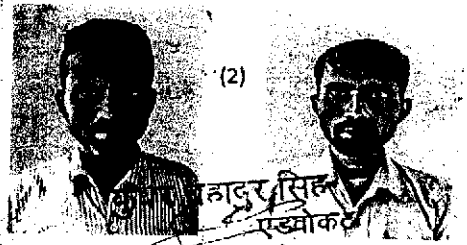

कुवर बहादुर सिंह एडवोकेट सिविलकोर्ट चुनार, मीरजापुर 8/8/18

क- श्री/श्रीमती/कु० :	बाबूनन्दन
पुत्र/पत्नी/पुत्री :	स्व० छोटेलाल
पेशा :	कृषि
पता :	भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर
पैनकार्ड नं० :	N/A
मोबाइल संख्या :	7376712002

विक्रेता/प्रथम पक्ष

क- श्री/श्रीमती/कु० :	रम्मन
पुत्र/पत्नी/पुत्री :	स्व० छोटेलाल
पेशा :	कृषि

बाबूनन्दन रम्मन सुरेश बिरेन्द्र अरबिन्द योगेन्द्र आनन्द

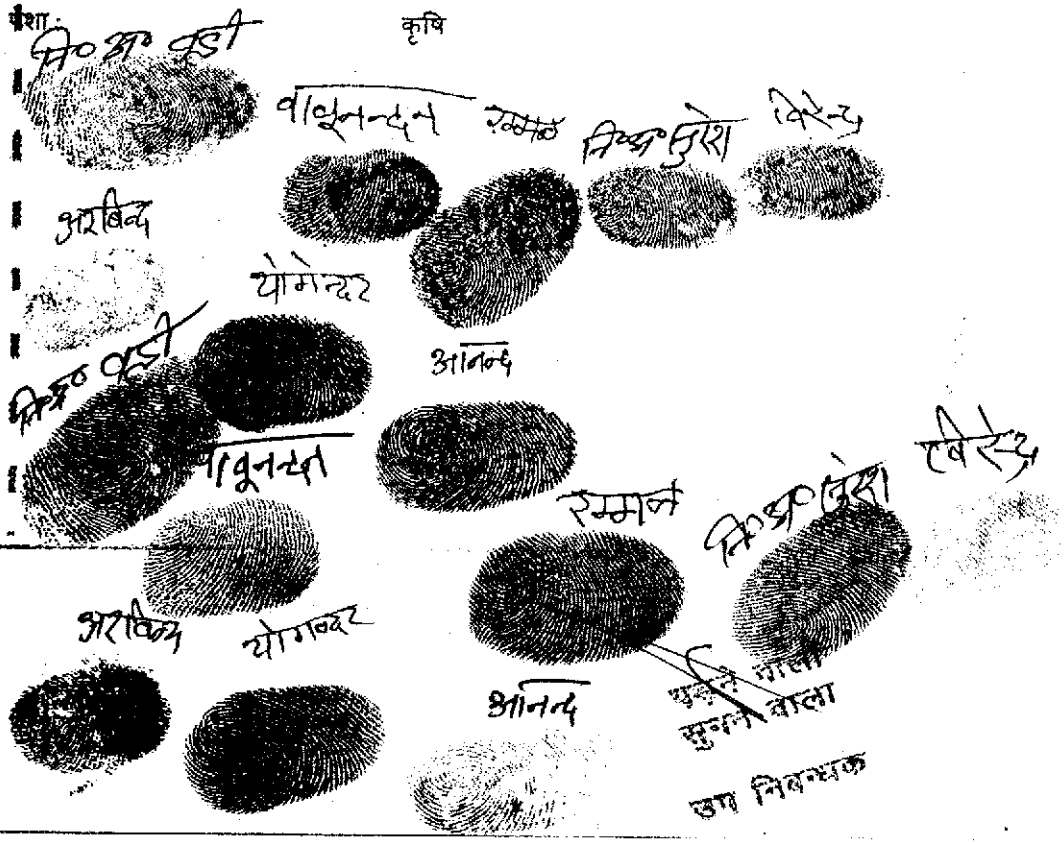

उप निबन्धक

1570

21 JUL 2018

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

TTAR PRADESH

CL 771222

(3)

पता : भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर

पैनकार्ड नं० : N/A

मोबाइल संख्या : 7376712002

विक्रेता/प्रथम पक्ष

क- श्री/श्रीमती/कु० : सुरेश

पुत्र/पत्नी/पुत्री : स्व० लालमन

पेशा : कृषि

पता : भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर

पैनकार्ड नं० : N/A

मोबाइल संख्या : 7376712002

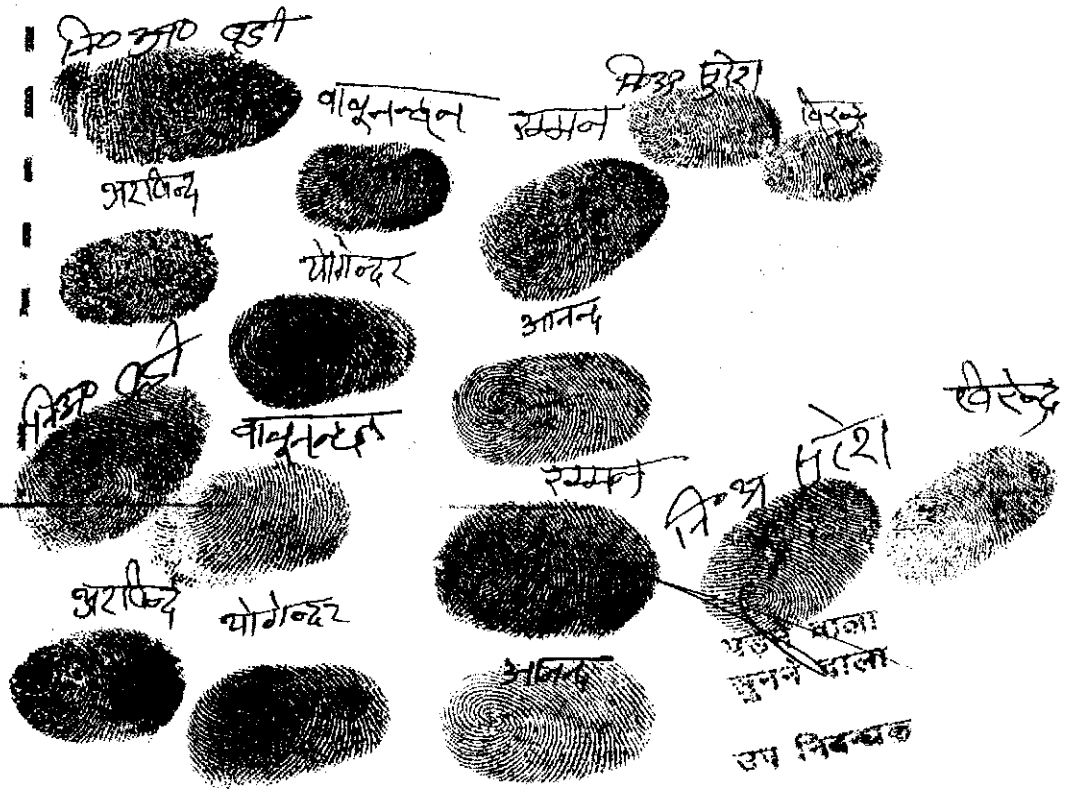

AUG

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

R PRADESH

CL 771662

(4)

विक्रेता/प्रथम पक्ष

श्री/श्रीमती/कु० :	विरेन्द्र
पुत्र/पत्नी/पुत्री :	स्व० लालमन
पेशा :	कृषि
पता :	भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर
पैनकार्ड नं० :	N/A
मोबाइल संख्या :	7376712002

विक्रेता प्रथम पक्ष

श्री/श्रीमती/कु० :	अरविन्द कुमार
पुत्र/पत्नी/पुत्री :	स्व० लालमन

1572

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

रुपये

सत्यमेव जयते

PRADESH

CL 771663

(5)

...ा :	कृषि
...ता :	भगौती देई भगवल चुनार मीरजापुर
...कार्ड नं० :	N/A
...बाइल संख्या :	7376712002

विक्रेता/प्रथम पक्ष

... श्री/श्रीमती/कु० :	योगेन्द्र कुमार
...पत्नी/पुत्री :	स्व० लालमन
...सा :	कृषि
...ता :	भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर
...कार्ड नं० :	N/A

उप निबन्धक

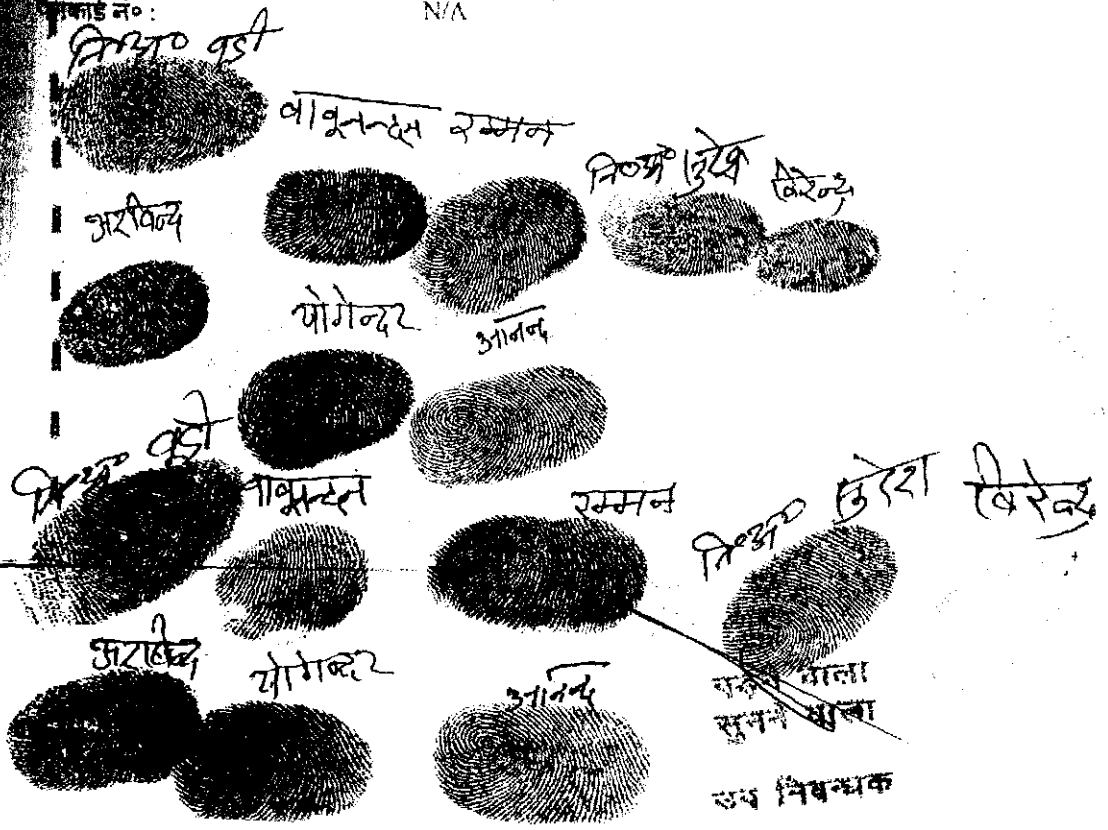

1573

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

5000

FIVE THOUSAND RUPEES

हजार रुपये

सत्यमेव जयते

PRADESH

CL 771664

(6)

मोबाइल संख्या : 7376712002

विक्रेता/प्रथम पक्ष

श्री/श्रीमती/कु० : आनन्द

पुत्र/पत्नी/पुत्री : सुग्रीव राम

पेशा : व्यापार

पता : 54 सृजन बिहार विपुलखण्ड गोमतीनगर लखनऊ

कार्ड नं० : N/A

मोबाइल संख्या : 9565611116

क्रेता/द्वितीय पक्ष

के मूल्यांकन का विवरण:-

उप निबन्धक

1574 30 JUL 2018

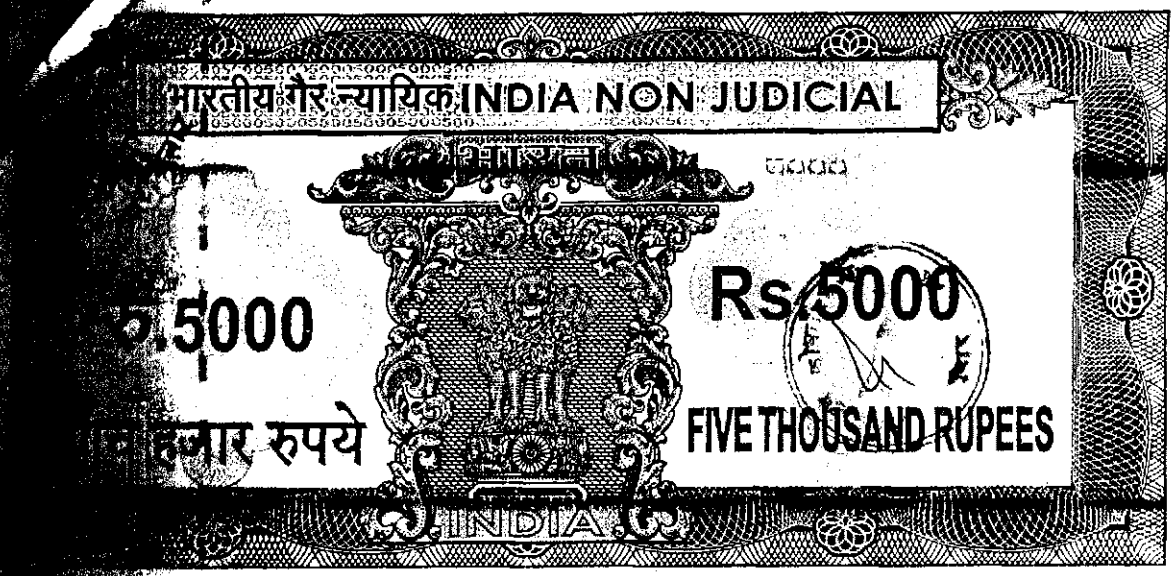

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

Rs.5000

पांच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH CL 771617

(7)

क- प्रतिफल : 500000

ख- वास्तविक बाजारी मूल्य (रू०) : 788000

ग- अदा किया गया कुल स्टाम्प शुल्क रू० : 39400

घ- निर्माण की स्थिति: अनिर्मित

ड-क्षेत्रफल: 0.340999991

च- सम्पत्ति प्राप्ति का श्रोत: प्राधिकरण/परिषद्/अन्य/विरासत

प्रथम पक्ष एवं व्दितीय पक्ष के मध्य उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में विक्रय पत्र रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया

सम्पत्ति का विवरण:-

उप निबन्धक

1575

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH AX 076913

(8)

क- सम्पत्ति का प्रकार:	कृषि भूमि
ख- ग्राम का नाम तथा परगना :	भगौती देई,भगवत
ग- सम्पत्ति का विवरण:	आ०नं० 729 मि० व आ०नं० 729एफ ई० व 686 मि० योग तीन गाटा कुल रकबा 0.341 हे० सम्पूर्ण बय किया
घ- खसरा नम्बर :	,
ङ- कुल भूमि क्षेत्रफल :	0.340999991 हैक्टेयर
च- वृक्षों की संख्या :	0
छ- यूनीक आईडी :	2128770729200312
ज- तहसील :	चुनार
झ- जिला :	मिर्जापुर

1576

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

1000

हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

PRADESH AX 077025

(म)

ज- चौहद्दी :-

पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	खसरा संख्या	प्लॉट/भवन/दुकान संख्या
खेत कल्लू	खेत राजू खान	पहाड़	चकमार्ग 8 फीट	,	,

के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के स्वामित्व/मालिकाना हक निम्न स्रोत से प्राप्त हुआ है:-

उक्त अचल सम्पत्ति विक्रेता को विरासत/उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है।

निम्नवत अभिकथन करता है:-

सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण, कर एवं अन्य प्रभार नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है। ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को को विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। ग- प्रथम पक्ष को विक्रय पूर्ण अधिकार है। घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है। ड.- विक्रीत भूमि सभी

पढ़ने वाला
सुनने वाला

उप निबन्धक

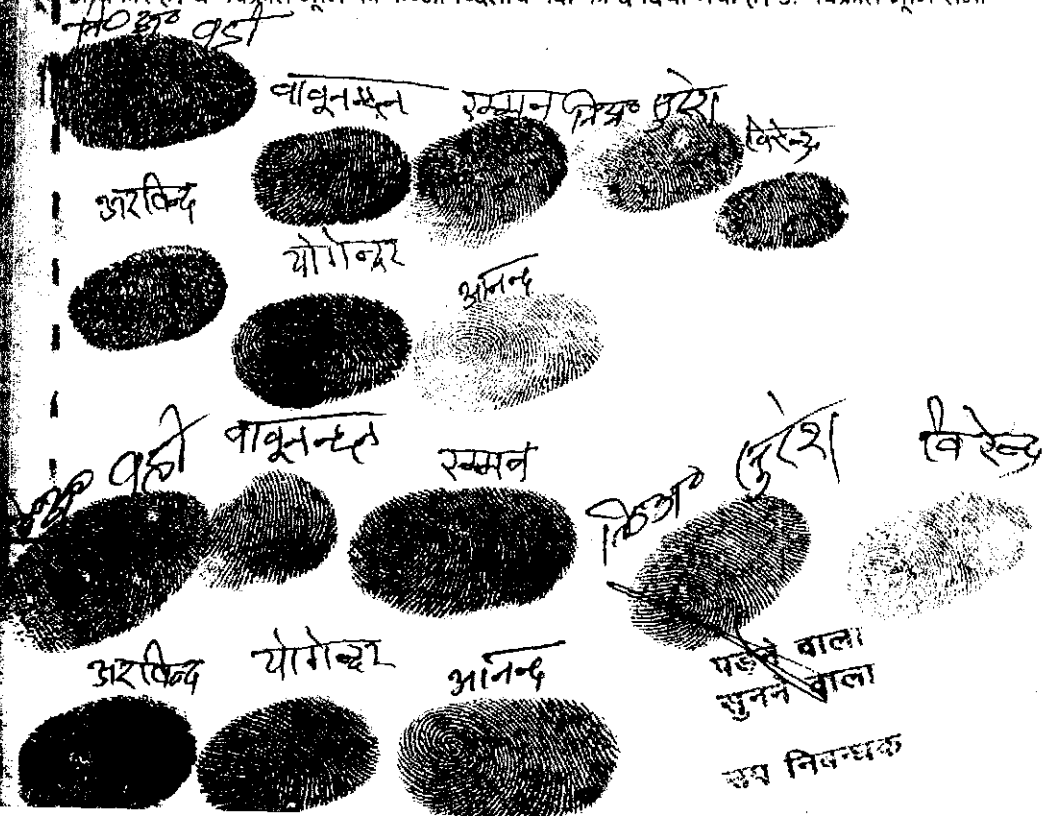

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

1000

हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

R PRADESH AX 077026

ों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष ष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व व्दितीय पक्ष का होगा। भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिये रदायी होगा। च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व व्दितीय पक्ष में या है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी/ वारिस इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार जिसमें प्रथम पक्ष या उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। छ- इस निष्पादन की तिथि से व्दितीय पक्ष भूमि किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार भोग करने के लिए स्वतंत्र है। ज- विक्रीत भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 कृषिक उद्घोषित नहीं किया गया है।

अभिकथन करता है कि व्दितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/ सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

पढ़ने वाला
सुनने वाला

उप निबन्धक

1578

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH AX 077027

(11)

(क) यह कि विक्रीत कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रभावी जिलाधिकारी मूल्यांकन दर सूची दिनांक 01-08-2018 ... 52 के वी कोड क्रम सं० 1384 दर 2100000/- रूपया प्रति हेक्टेयर के अनुसार किया गया है विक्रयशुदा ... नगर पालिका परिषद के बाहर व आवास विकास के बाहर है व कृषि भूमि है तथा कृषि कार्य के लिये क्रय ... रहा है। (ख) अन्य विवरण– 1- यह कि विक्रेता ने क्रेता द्वितीय पक्ष से विक्रय शुदा सम्पत्ति का कुल मूल्य मु० 500000/- रू० सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व में ही प्राप्त कर लिया है। अब एक भी पैसा जिम्मे ... शेष नहीं है। अगर खिलाफ इसके भविष्य में विक्रेता या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति विक्रय मूल्य ... कोई आपत्ति या पैसे की मांग की जाती है तो वह इस दस्तावेज के आधार पर अवैध व नाजायज होगा। ... कि विक्रीत आराजी भूदान, सीलिंग, वक्फ से प्रभावित नहीं है। जिस पर कोई निर्माण, कुँआ, पेड, बोरिंग ... है। सामान्य कृषि भूमि है। 3– यह विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के है। 4– विक्रेता का आधार संख्या ... 6968 1445 0228 व 2384 7036 7218 व 6614 4273 9901 व 4301 5842 1525 व 3919 92... ... 78 2357 व 8535 1827 6004 व क्रेता का आधार संख्या–8895 9246 2629 गवाहान का आधार कार्ड

1579

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100

उप रोकड़िया
उप कोषागार चुनार

Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH (12) EG 404369

...223 4745 8702 व 2506 8613 2758 है। 5- यह कि विक्रेता को इस समय रूपयों की सख्त आवश्यकता ... उन्नति व अन्य दीगर कार्य के दरपेश है। 6- यह कि बयशुदा भूमि का दाखिल खारिज क्रेता खुद ... बैनामा के आधार पर करा लेवे कुछ आपत्ति न है न ही भविष्य में होगा। 7- यह कि विक्रित आराजिया ... पर होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त मालियत पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। 8- तफसील ... स्थित मौजा भगौती देई परगना भगवत तहसील चुनार जिला मीरजापुर की आ॰नं॰ 792 मि॰ रकबा ... व आ॰नं॰ 729 एफ ई॰ रकबा 0.1260 हे॰ व आ॰नं॰ 686 मि॰ रकबा 0.0630 हे॰ योग तीन गाटा कुल ...3410 हे॰ सम्पूर्ण बय किया। 7- यनिक कोड– 2128770729200312 व 2128770729200212 व ...686200112

इस प्रकार प्रथम पक्ष अर्थात विक्रेता ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। अतएव इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप

पढ़कर सुनाने वाला

उप निबन्धक

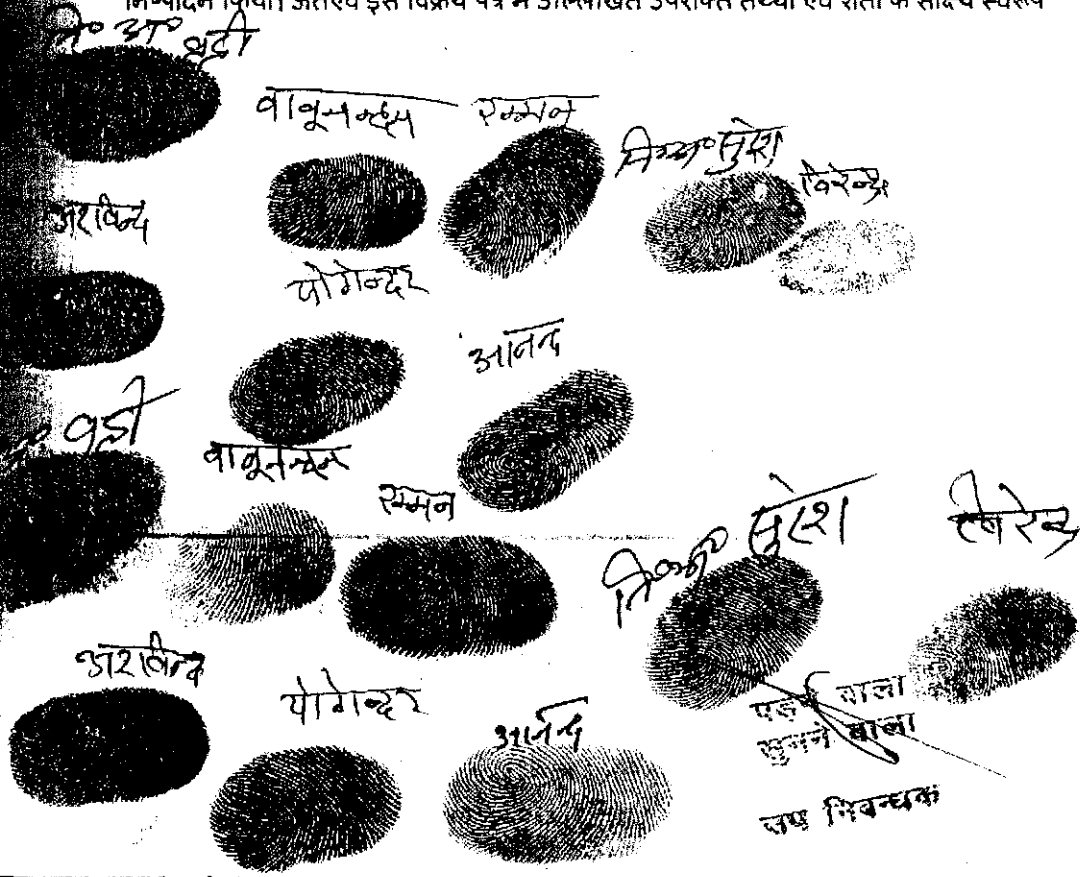

1580

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये Rs. 100

Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

R PRADESH (13) EG 404370

दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये।

का दिनांक : 08-08-2018 स्थान : चुनार

प्रभावती देवी

नाम : स्व० लालमन

भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर

6388639685

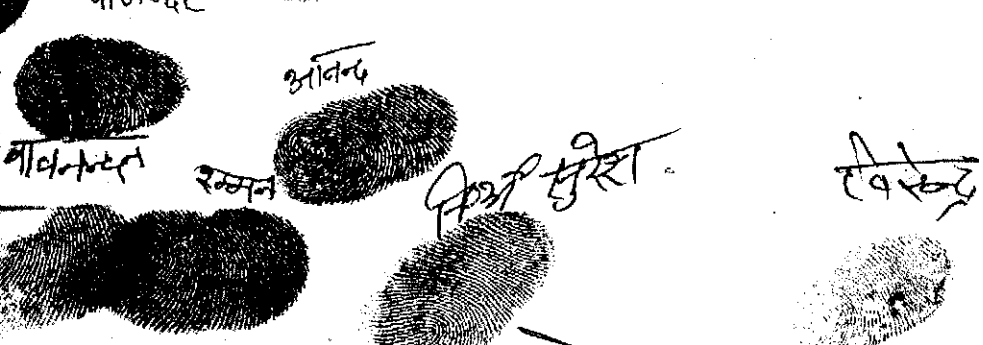

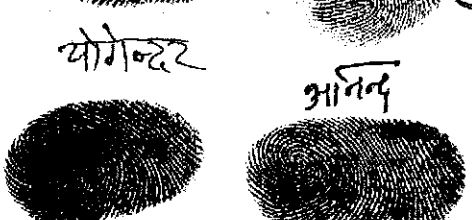

1581

भारतीय गैर न्यायिक

Re. 100

ONE HUNDRED RUPEES

Rs. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AR PRADESH (14) EG 404711

गुलाब

नाम : बुद्दू

भगौती देई भगवत चुनार मीरजापुर

7991415414

मसविदाकर्ता - अशोक कुमार सिंह एड०

टाईपकर्ता - अभिषेक कुमार, चुनार, मीरजापुर

उप निबन्धक

1582

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH EG 404712

(15)

नजरी नक्शा

तफसील विक्रित आराजी स्थित मौजा भगौती देई, परगना भगवत, तहसील चुनार जिला मिर्जापुर आ0 नं0 729 मि0 रकबा 0.1520 हे0 व आ0नं0 729 एफ ई0 रकबा 0.1260 हे0 व आ0नं0 ... मि0 रकबा 0.0630 हे0 योग 3 गाटा कुल रकबा 0.3410 हे0 अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा का नजरी नक्शा।

दिशा संकेत

वादी ... पाबूनन्दन रम्मन सुरेश विरेन्द्र अरविन्द योगेन्द्र आनन्द

पाबूनन्दन रम्मन सुरेश विरेन्द्र अरविन्द योगेन्द्र आनन्द

पहचानने वाला

मुद्रांक विक्रेता

उप निबन्धक

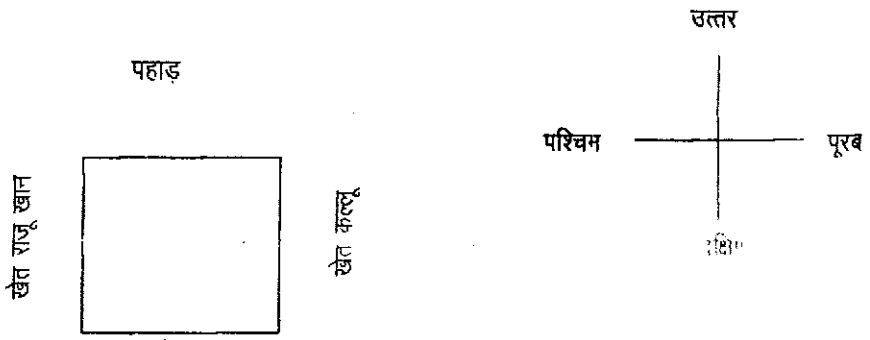

बही संख्या 1 जिल्द संख्या के पृष्ठ 109 से 138 तक
क्रमांक 6843 पर दिनाँक 08/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया

अरवपति दूबे
ला0 नं0-19
तहसील परिसर-चुनार, मीरजापुर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र प्रसाद (प्रभारी)
उप निबंधक : चुनार
मिर्जापुर
08/08/2018

दफ्तर सब रजिस्ट्रार, चुनार, जिला - मीरजापुर * उत्तर प्रदेश *